समाचार

भवन अनुज्ञा अब केवल आनलाईन जारी होगी

कोरबा 27 अगस्त 2015 —शासन के निर्देशानुसार 15 अगस्त 2015 के पश्चात मेनुअल भवन अनुज्ञा की कार्यवाही नहीं की जानी है, केवल आनलाईन भवन अनुज्ञा ही जारी की जानी है। शासन के निर्देशों के तहत आयुक्त श्री आलोक चन्द्रवंशी ने आज तदाशय के निर्देश निगम के अनुबंधित वास्तुविदों एवं इंजीनियरों को जारी कर समस्त भवन अनुज्ञा प्रकरणों को अनुमति हेतु आनलाईन ही प्रस्तुत करने को कहा है।

राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ नया रायपुर के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2015 में दिये गये निर्देशानुसार 15 अगस्त 2015 के पश्चात मेनुअल भवन अनुज्ञा की कार्यवाही नहीं की जानी है, केवल आनलाईन भवन अनुज्ञा ही जारी की जानी है। आयुक्त श्री आलोक चन्द्रवंशी ने निगम के वास्तुविदों, इंजीनियरों को पत्र लिखकर कहा है कि आपसे पूर्व में किये गये 200 वर्गमीटर अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने संबंधी अनुबंध/आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उन्होने निर्देशित करते हुए कहा है कि आपके द्वारा आज पर्यंत जारी किये गये भवन अनुज्ञा की समस्त नस्ती, दस्तावेज कार्यालय में शीघ्र जमा करायें तथा 200 वर्गमीटर अंतर्गत भवन अनुज्ञा नहीं जारी करने संबंधित लिखित सूचना मेरे समक्ष में प्रस्तुत करें, साथ ही समस्त भवन अनुज्ञा प्रकरणों को अनुमति हेतु आनलाईन ही प्रस्तुत करें। यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 01 अगस्त से ही भवन अनुज्ञा हेतु आनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई थी तथा उसी के अनुरूप कार्यवाही संपादित कराई जा रही है।

संपादकव्यूरोचीफ......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)